रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)
Controller of Defence Accounts (Army)
बेल्वेडियर परिसर, आयुध पथ, मेरठ छावनी-250001
Belvedere Complex, Ayudh Path, Meerut Cantt-250001
दूरभाष: 0121-2794367 फैक्स: 0121-2646254

सूचना का अधिकार

वैबसाइट द्वारा

सं. प्रशा/आरटीआई/विविध/2018-19 दिनांक:- 18/09/2018

सेवा में,

1. प्रभारी अधिकारी, सभी अधीनस्थ कार्यालय।
2. प्रभारी अधिकारी, सभी अनुभाग (स्थानीय)।

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान करना।

217

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियत समय-सीमा के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों/अपील का उत्तर देने के लिए, इस कार्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों/मुख्य कार्यालय के अनुभागो को प्रेषित आरटीआई प्रार्थना पत्रों/अपील के जवाब इस कार्यालय को प्रेषित करने के लिए 5 दिनों का समय दिया जाता है। प्राय: यह देखा गया है कि उपरोक्त पत्रों का जवाब निर्धारित समय सीमा के अंदर इस कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त नहीं होता है। कुछ मामलों में अनुस्मारक व दूरभाष पर संपर्क करने के उपरांत भी उत्तर (बिन्दुवार सूचना) निर्धारित समय सीमा -30 दिन- से कुछ दिन पहले या अंतिम दिन प्राप्त होती है जिससे निर्धारित समय पर सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब होता है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस विलम्ब के लिए अधिनियम में दंड का भी प्रावधान है (धारा 20) जिससे कुछ प्रयास द्वारा बचा जा सकता है। साथ ही यह भी प्रावधान है [धारा 7(6)] कि नियत समय-सीमा के उपरांत उत्तर दिये जाने पर सूचना बिना फीस लिए प्रदान की जाएगी।

2. उपरोक्त मामलों में समयबद्ध कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह आदेश दिया गया है कि सभी अधीनस्थ कार्यालय/अनुभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधी मामलों का निपटान 'उच्चतम प्राथमिकता' पर करना सुनिश्चित करेंगे व आवेदन/अपील की प्राप्ति के पाँच दिन के अंदर आवेदन/अपील से संबन्धित बिन्दुवार, सुस्पष्ट सूचना, द्विभाषी रूप में, इस कार्यालय/अनुभाग को भिजवाना

सुनिश्चित करेंगे। समस्त प्रभारी अधिकारी उक्त का कठोरता से अनुपालन करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों से भी नोट करा लें।

3. इस कार्यालय/अनुभाग को सूचना email एवं फ़ैक्स द्वारा प्रेषित की जा सकती है।

4. इस परिपत्र की हार्ड प्रति प्रेषित नहीं की जाएगी।

(गीतिका सिंह बट्टू)
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

प्रभारी अधिकारी स्व संचलन प्रकोष्ठ (स्थानीय)	-	कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनिल रावत)
वरि. लेखा अधिकारी (आरटीआई)